Toppersnotes®
Unleash the topper in you

RAS

राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं

राजस्थान लोक सेवा आयोग

भाग - 7

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं विश्व राजनीति

SIERRA INNOVATIONS

RAS

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं विश्व राजनीति

भाग – 7

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1.	संविधान सभा	**1**
2.	प्रस्तावना	**4**
3.	संविधान की मुख्य विशेषताएँ	**6**
4.	मौलिक अधिकार	**9**
5.	राज्य के नीति के निदेशक तत्व	**27**
6.	मौलिक कर्त्तव्य	**33**
7.	संवैधानिक संशोधन	**35**
8.	संविधान की मूल संरचना	**37**
9.	संसदीय प्रणाली	**41**
10.	राष्ट्रपति	**43**
11.	प्रधान मंत्री	**49**
12.	केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्	**51**
13.	संसद	**55**
14.	संघीय प्रणाली	**84**
15.	केन्द्र राज्य संबंध	**87**
16.	आपातकालीन प्रावधान	**97**
17.	भारतीय न्यायिक प्रणाली	**101**
18.	भारतीय निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं संघ लोक सेवा आयोग	**118**
19.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त एवं नीति आयोग	**124**
20.	भारतीय राजनीति में जाति और धर्म की भूमिका	**133**
21.	राजनीतिक दल	**136**
22.	गठबंधन सरकारें	**138**
23.	भारत में लोकतान्त्रिक राजनीति	**139**
24.	राष्ट्रीय एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन	**143**
25.	नागरिक समाज एवं राजनीतिक आंदोलन	**150**
26.	राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे	**152**

27.	शीत युद्ध के बाद के युग में विश्व	**156**
28.	संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय संगठन	**167**
29.	अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद	**195**
30.	भारत की विदेश नीति	**205**
31.	भू-राजनीतिक और सामरिक विकास	**217**

1 CHAPTER	# संविधान सभा

भारत की संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन योजना का प्रावधान-

- कुल सदस्य = 389 आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत।
    - 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित की गईं।
        - 11 गवर्नर्स के प्रांतों से 292 सदस्य
        - 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से 4 सदस्य
    - देसी रियासतों को 93 सीटें उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की गई ।
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों, सिखों और सामान्य (अन्य) के बीच विभाजित किया जाना था।
- प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव → एकल संक्रमणीय मत का उपयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
- रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन - रियासतों के प्रमुखों द्वारा।
- सदस्यों का चयन - अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा।
- जनता की भावनाओं को प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य स्वयं एक सीमित मताधिकार पर चुने गए थे। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए संविधान सभा का चुनाव जुलाई-अगस्त, 1946 में हुआ।
    - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटों पर विजयी,
    - मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पर विजयी,
    - 15 सीटों पर निर्दलीय प्रतिनिधियों विजयी।
- रियासतों ने स्वयं को संविधान सभा से पृथक रखने का निर्णय लिया इसलिए उनकी सीटें नहीं भरी गई |
- संविधान सभा में समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि थे, लेकिन तत्कालीन प्रमुख हस्तियों में से महात्मा गाँधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
- 28 अप्रैल, 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हुए।
- 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के बाद अधिकांश रियासतों ने विधानसभा में प्रवेश किया, बाद में भारतीय अधिराज्य से मुस्लिम लीग भी संविधान सभा में शामिल हुई।

संविधान सभा की कार्य प्रणाली

- पहली बैठक- 9 दिसंबर, 1946, केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया।
- मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और एक अलग देश के रूप में पाकिस्तान की माँग की।
- डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (सबसे वरिष्ठ सदस्य) संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए।
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए।
- एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी के रूप में उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए।

उद्देश्य प्रस्ताव

- 13 दिसंबर, 1946 को पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया । जिसे 22 जनवरी, 1947 को सर्वसम्मति से विधानसभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया।
- **महत्वपूर्ण प्रावधान-**
    - भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित तथा भविष्य के प्रशासन को चलाने हेतु संविधान निर्माण की घोषणा।
    - भारत, ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों का एक संघ होगा जिनकी संविधान सभा द्वारा निर्धारित निश्चित सीमाएँ होगी तथा जिनके पास अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी और संघ में निहित सरकार और प्रशासन की सभी शक्तियों के अलावा सारी शक्तियां इन राज्यों में निहित होंगी।
    - संप्रभु स्वतंत्र भारत को सभी शक्तियाँ और अधिकार भारत की जनता से प्राप्त होंगे।
    - भारत के सभी लोगों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसर की समता और कानून के समक्ष विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, संघ और कार्य की स्वतंत्रता अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
    - न्याय और सभ्य राष्ट्रों के कानून के अनुसार गणराज्य के क्षेत्र और भूमि, समुद्र और वायु पर उसके संप्रभु अधिकारों की अखंडता बनाए रखी जाएगी।
    - इस देश को दुनिया में अधिकार और सम्मानित स्थान दिलाया जायेगा साथ ही विश्व शांति को बढ़ावा देने और मानव जाति के कल्याण के लिए अपना पूर्ण और इच्छुक योगदान दिया जायेगा।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा परिवर्तन

- संविधान सभा → संविधान बनाने के लिए पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया |
- संविधान सभा: एक विधायी निकाय बन गया। जो कि `संविधान बनाने और देश के लिए सामान्य कानून बनाने के लिए जिम्मेदार।

- संविधान सभा के रूप में → डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में।
- एक विधायिका के रूप में → जी.वी. मावलंकर की अध्यक्षता में (26 नवंबर, 1949 तक)।

- मुस्लिम लीग संविधान सभा से अलग हो गई।
  - संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 से घटाकर 299 रह गई।

संविधान सभा द्वारा निष्पादित अन्य कार्य-

- मई, 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की।
- 22 जुलाई, 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया।
- 24 जनवरी, 1950 को भारत के राष्ट्रगान को अपनाया गया।
- 24 जनवरी, 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया।
- 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया लेकिन 26 जनवरी, 1950 से 1951-52 में पहले आम चुनाव होने तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य जारी रखा।

संविधान सभा की समितियाँ

	समिति	अध्यक्षता
प्रमुख समितियाँ	संघ शक्ति समिति	जवाहर लाल नेहरू
	संघीय संविधान समिति	जवाहर लाल नेहरू
	प्रारूप समिति	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
	प्रांतीय संविधान समिति	सरदार पटेल
	मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों व जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति – 5 उप समितियाँ	सरदार पटेल
	(i) मौलिक अधिकार उप-समिति	जे. बी. कृपलानी
	(ii) अल्पसंख्यक उप समिति	एच. सी. मुखर्जी
	(iii) उत्तर-पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र (असम के अलावा) और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप-समिति	गोपीनाथ बरदोई
	(iv) बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र (असम के सिंचित क्षेत्रों के अलावा) उप-समिति	ए. वी. ठक्करी
	(v) उत्तर-पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप-समिति	
	राज्यों के लिए समिति (राज्यों के समझौता करने के लिए)	जवाहर लाल नेहरु
	प्रक्रिया नियम समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
	संचालन समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
लघु समितियाँ	वित्त और कर्मचारी समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
	प्रत्यायक समिति	अलादि कृष्णास्वामी अय्यर
	सदन समिति	बी. पट्टाभिसीतारमैय्या
	कार्य संचालन समिति	डॉ. के.एम. मुंशी
	संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति	जी.वी. मावलंकर
	सर्वोच्च न्यायालय के लिये तदर्थ समिति	एस. वरदाचारी (सभा के सदस्य नहीं थे)
	राष्ट्र ध्वज सम्बन्धी तदर्थ समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
	मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति	बी. पट्टाभिसीतारमैय्या
	संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति	नलिनी रंजन सरकार (सभा के सदस्य नहीं थे)
	भाषाई प्रांत आयोग	एस. के. डार (सभा के सदस्य नहीं थे)
	प्रारूप संविधान की जाँच के लिए विशेष समिति	जवाहरलाल नेहरू
	नागरिकता पर तदर्थ समिति	एस. वरदाचारी (जो सभा के सदस्य नहीं थे)
	प्रेस दीर्घा समिति	उषा नाथ सेन

प्रारूप समिति-

- 29 अगस्त 1947 को नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए स्थापित किया गया था।
- समिति सदस्य : 7
    - अध्यक्ष: डॉ. बी.आर. अम्बेडकर।
    - एन गोपालस्वामी अय्यंगर।
    - अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर।
    - डॉ. के.एम. मुंशी।
    - सैयद मोहम्मद सादुल्ला।
    - एन. माधव राव (बी. एल. मित्र द्वारा स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने पर उनकी जगह ली)।
    - टी. टी. कृष्णमाचारी (1948 में डी. पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली)।
- फरवरी, 1948 में संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया।
- अक्टूबर, 1948 में दूसरा प्रारूप हुआ।

संविधान का प्रभाव में आना

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 4 नवंबर, 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया।
- संविधान पहली बार पढ़ा गया, और पाँच दिन तक आम चर्चा हुई।
- संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर, 1948 से विचार होना शुरू हुआ।
- तीसरी बार 14 नवंबर, 1949 से विचार होना शुरू हुआ।
- 26 नवंबर, 1949 को संविधान के प्रारूप को पारित किया गया।
- 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए प्रारूप संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ निहित थी।

संविधान का प्रवर्तन-

- 395 अनुच्छेद |
- 8 अनुसूचियाँ।
- अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 में निहित। नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान और संक्षिप्त शीर्षक 26 नवंबर, 1949 को लागू। तथा शेष प्रावधान 26 जनवरी, 1950 (गणतन्त्र दिवस) को लागू हुए।
- संविधान को अपनाने के साथ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 के सभी प्रावधान निरस्त कर दिए गए।
- एबोलिशन ऑफ़ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट (1949) लागू रहा।

संविधान सभा की आलोचना-

- प्रतिनिधि निकाय नहीं - सीमित मताधिकार द्वारा चुनाव के कारण जनादेश प्रतिबिंबित नहीं हुआ।
- एक संप्रभु निकाय नहीं - क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था और उनकी अनुमति से इसकी बैठक आयोजित की गई थी।
- अमेरिकी संविधान (केवल 4 महीने) की तुलना में संविधान बनाने में अधिक समय लगा |
- कांग्रेस का प्रभुत्व रहा।
- वकीलों और राजनेताओं का वर्चस्व रहा।
- हिंदुओं का वर्चस्व रहा।

- एस .एन. मुखर्जी - संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार (चीफ ड्राफ्टमैन)।
- प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा - सुलेखक (कैलिग्राफर) - संविधान के मूल शब्दों को प्रवाहित इटैलिक शैली में लिखा गया।
- नंद लाल बोस और बिउहर राममनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सुशोभित और सजाया गया।
- हिंदी संस्करण की सुलेख = वसंत कृष्ण वैद्य।
    - सजाया और प्रकाशित = नंद लाल बोस।
- हाथी- संविधान सभा की प्रतीक मुहर।
- मूल रूप से भारत के संविधान में हिंदी भाषा में संविधान के एक आधिकारिक विषय वस्तु से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया था।
    - हिंदी प्रारूप- 1987 के 58वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया जिसने संविधान के अंतिम भाग XXII में एक नया अनुच्छेद 394-क जोड़ा गया।

2
CHAPTER

प्रस्तावना

भारतीय संविधान की प्रस्तावना/उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यब्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

- संविधान का परिचय या प्रस्तावना, संविधान के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।
- संविधान के आधार के रूप में बुनियादी दर्शन और मौलिक मूल्यों का प्रतीक है।
- संविधान के संस्थापकों के सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाता है।
- शेष संविधान के लागू होने के बाद अधिनियमित किया गया था।
- न ही विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही कोई निषेधक।
- गैर-न्यायसंगत कानून की अदालतों में लागू करने योग्य नहीं।
- बुनियादी ढाँचे को बदले बिना संशोधित किया जा सकता है।

प्रस्तावना के मूल तत्व

- संविधान के अधिकार का स्रोत → भारत के लोग।
- भारत की प्रकृति भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य घोषित करता है।
- संविधान के उद्देश्य: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व
- संविधान को अपनाने की तिथि - यह तारीख 26 नवंबर, 1949 है।

प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख शब्द

- **संप्रभुता** - पूर्ण संप्रभु सरकार वह है जो किसी अन्य शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होती है तथा अपने आंतरिक या बाहरी मामलों के निष्पादन में स्वतंत्र है। संप्रभु हुए बिना किसी देश का अपना संविधान नहीं हो सकता। भारत एक संप्रभु देश है। यह किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है।
- **समाजवादी** - मूल संविधान का हिस्सा नहीं।
    - 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।
    - आर्थिक नियोजन के संदर्भ में उपयोग किया जाता है।
    - असमानताओं को दूर करने, सभी के लिए न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं का प्रावधान, समान काम के लिए समान वेतन जैसे आदर्शों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता।
- **धर्मनिरपेक्षता** - 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया।
    - भारत न तो धार्मिक है, न अधार्मिक है और न ही धर्म विरोधी है।
    - कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं- राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है।
- **लोकतांत्रिक गणराज्य** - सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होती है।
    - लोकतांत्रिक प्रावधान - सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चुनाव, मौलिक अधिकार और जिम्मेदार सरकार।
    - गणतंत्र - राज्य का निर्वाचित प्रमुख (राष्ट्रपति → प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित) ब्रिटेन जैसा वंशानुगत शासक नहीं।
- **न्याय** - लोगों को भोजन, वस्त्र, आवास, निर्णय लेने में भागीदारी और मनुष्य के रूप में सम्मान के साथ जीने के बुनियादी अधिकारों के संदर्भ में वे क्या हकदार हैं।
    - रूसी क्रांति (1917) से न्याय के तत्वों को लिया गया है।
    - न्याय के तीन आयाम- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
        - **सामाजिक न्याय** - जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी सामाजिक भेद के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार।

- **आर्थिक न्याय** - आर्थिक कारकों पर गैर-भेदभाव।

सामाजिक न्याय + आर्थिक न्याय = 'वितरणात्मक न्याय'

- **राजनीतिक न्याय** - सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, सभी राजनीतिक कार्यालयों में समान पहुँच और सरकार तक अपनी बात रखने का अधिकार ।

- **स्वतंत्रता** - विचार और अभिव्यक्ति की व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध की अनुपस्थिति और साथ ही व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करना।
    - फ्रांसीसी क्रांति (1789-1799) से लिया गया।
- **समानता** - समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष विशेषाधिकारों का अभाव और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान।
    - समानता के तीन आयाम- नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक।
- **बंधुत्व** - भाईचारे की भावना, एकल नागरिकता की व्यवस्था और अनुच्छेद 51A (मौलिक कर्तव्य) द्वारा बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देता है।

संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना

बेरुबारी संघ बनाम अज्ञात मामला, 1960	केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, 1973	केंद्र सरकार बनाम एलआईसी ऑफ इंडिया मामले , 1995
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी है' लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता। इसलिए यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है।	सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "संविधान की प्रस्तावना को अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा। प्रस्तावना सर्वोच्च शक्ति या किसी प्रतिबंध या निषेध का स्रोत नहीं है, लेकिन यह संविधान की विधियों और प्रावधानों की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।"	सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन भारत में न्याय के न्यायालय में सीधे लागू करने योग्य नहीं है।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

3 CHAPTER संविधान की मुख्य विशेषताएँ

- सबसे लंबा लिखित संविधान - इसमें शामिल हैं -
  - केंद्र और राज्यों व उनके अंतर्संबंधो के लिए अलग प्रावधान।
  - दुनिया के कई स्रोतों और संविधानों से लिए गये प्रावधान।

देशों	भारतीय संविधान की अन्य संविधानों से प्रेरित विशेषताएँ
ऑस्ट्रेलिया	• समवर्ती सूची • व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता • संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
कनाडा	• एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था • केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना • केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति • उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार
आयरलैंड	• राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत • राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन • राष्ट्रपति के चुनाव की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
सोवियत संघ/रूस	• मौलिक कर्तव्य • प्रस्तावना में न्याय का आदर्श (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक)
ब्रिटेन	• संसदीय सरकार • विधि का शासन • विधायी प्रक्रिया • एकल नागरिकता • कैबिनेट प्रणाली • परमाधिकार रिट • संसदीय विशेषाधिकार • द्विसदन
जापान	• विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
अमेरिका	• मौलिक अधिकार • न्यायपालिका की स्वतंत्रता • न्यायिक समीक्षा • राष्ट्रपति का महाभियोग • सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना • उपराष्ट्पति का पद
जर्मनी (वाइमर)	• आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन
दक्षिण अफ्रीका	• भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया • राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव
फ्रांस	• गणतंत्र • प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श

  - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, बच्चों और पिछड़े क्षेत्रों के लिए अलग प्रावधान।
  - अधिकारों की विस्तृत सूची, राज्य की नीति के निदेशक तत्व और प्रशासन प्रक्रियाओं का विवरण।
  - मूल रूप से (1949) में एक प्रस्तावना, 395 लेख (22 भागों में विभाजित) और 8 अनुसूचियां थीं।
  - वर्तमान (2019) में, इसमें एक प्रस्तावना, 25 भाग, 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं।
- कठोरता और लचीलेपन का अनूठा मिश्रण -
  - कुछ हिस्सों में सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधानों को उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।
  - कुछ संशोधनों को राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित करने की भी आवश्यकता होती है।
- भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र के रूप में- भारत अपने लोगों द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासित होता है।
- सरकार की संसदीय प्रणाली- संसद मंत्रिपरिषद के कामकाज को नियंत्रित करती है।
  - कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और जब तक उसे विधायिका का विश्वास प्राप्त है तब तक वह सत्ता में बनी रहती है।
    - भारत के राष्ट्रपति, जो पांच साल तक पद पर बने रहते हैं, नाममात्र, नाममात्र या संवैधानिक प्रमुख (कार्यकारी) होते हैं।
    - पीएम वास्तविक कार्यकारी और मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं जो सामूहिक रूप से निचले सदन (लोकसभा) के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- एकल नागरिकता- संघ द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल नागरिकता को पूरे भारत में सभी राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त है।

- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति के माध्यम से भारत में राजनीतिक समानता स्थापित करता है जो 'एक व्यक्ति एक वोट' के आधार पर कार्य करता है।
    - प्रत्येक भारतीय जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, किसी जाति, लिंग, नस्ल, धर्म या स्थिति के बावजूद चुनाव में मतदान करने का अधिकार है।
- स्वतंत्र और एकीकृत न्यायिक प्रणाली- कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त।
    - न्याय व्यवस्था के शीर्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय जिसके नीचे उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं।
- मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निदेशक सिद्दांत -
    - मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं हैं, लेकिन स्वयं संविधान द्वारा परिभाषित सीमाओं के अधीन हैं और ये न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं।
    - राज्य के नीति निदेशक तत्व शासन के संबंध में राज्यों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश हैं और न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं।
    - 42 वें संशोधन द्वारा जोड़े गए मौलिक कर्तव्य नैतिक विवेक हैं जिनका नागरिकों को पालन करना चाहिए।
- एक मजबूत केंद्रीकरण प्रवृत्ति के साथ संघ- भारत विनाशकारी राज्यों के साथ एक अविनाशी संघ है। जिसका अर्थ है कि यह आपातकाल के समय एकात्मक चरित्र प्राप्त करता है।
- न्यायिक समीक्षा के साथ संसदीय सर्वोच्चता को संतुलित करना- न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका।

भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियाँ

भाग	विषय - वस्तु	संबंधित अनुच्छेद
I	संघ और उसके क्षेत्र	1- 4
II	नागरिकता	5 - 11
III	मौलिक अधिकार	12 - 35
IV **IV-A**	राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक कर्तव्य	36 - 51 51(A)
V	केंद्र सरकार	52 - 151
	अध्याय I - कार्यपालिका अध्याय II - संसद अध्याय III - राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अध्याय IV - संघ की न्यायपालिका अध्याय V - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	52 - 78 79 - 122 123 124 - 147 148 - 151
VI	राज्य सरकारें	152 - 237
	अध्याय I - सामान्य अध्याय II - कार्यपालिका अध्याय III - राज्य विधानमंडल अध्याय IV - राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ अध्याय V - उच्च न्यायालय अध्याय VI - अधीनस्थ न्यायालय	152 153 - 167 168 - 212 213 214 - 232 233 - 237
VII	राज्यों से सम्बंधित पहली अनुसूची का खंड-ख (7 वें संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त)	238 निरस्त
VIII	केंद्र शासित प्रदेश	239 - 242
IX	पंचायतें	243 - 243(O)
IX-A	नगर पालिकाएं	243(P) - 243(ZG)
IX-B	सहकारी समितियां	243(ZH) - 243(ZT)
X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	244 - 244(A)
XI	संघ और राज्यों के बीच संबंध	245 - 263
	अध्याय I - विधायी संबंध अध्याय II - प्रशासनिक संबंध	245 - 255 256 - 263
XII	वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद	264 – 300(A)
	अध्याय I - वित्त अध्याय II - ऋण लेना अध्याय III - संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, दायित्व, दायित्व और वाद अध्याय IV - संपत्ति का अधिकार	264- 291 292 -293 294- 300 300-A
XIII	भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम	301 -307
XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं	308 -323
	अध्याय I - सेवाएं अध्याय II - लोक सेवा आयोग	308 -314 315- 323
XIV-A	अधिकरण	323(A) - 323(B)
XV	निर्वाचन	324 - 329(A)
XVI	कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान	330 - 342
XVII	राजभाषा	343 -351
	अध्याय I - संघ की भाषा अध्याय II - क्षेत्रीय भाषाएँ अध्याय III- उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा अध्याय IV- विशेष निदेश	343- 344 345 -347 348 -349 350 -351
XVIII	आपातकालीन प्रावधान	352 -360

XIX	विविध (प्रकीर्ण)	361 -367
XX	संविधान का संशोधन	368
XXI	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध	369-392
XXII	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	393-395

अनुसूचियां संविधान में वे सूचियां हैं जो नौकरशाही गतिविधि और सरकार की नीति को वर्गीकृत और सारणीबद्ध करती हैं।

संख्या	विषय - वस्तु
पहली अनुसूची	1. राज्यों के नाम और उनके अधिकार क्षेत्र। 2. केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका विस्तार (सीमाएँ)।
दूसरी अनुसूची	परिलब्धियों पर भत्तों, विशेषाधिकारों आदि से संबंधित प्रावधान
	1. भारत के राष्ट्रपति 2. राज्यों के राज्यपाल 3. लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 4. राज्य सभा के सभापति और उपसभापति 5. राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 6. राज्यों में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति 7. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 8. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
तीसरी अनुसूची	शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप
	1. केंद्रीय मंत्री 2. संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवार 3. संसद सदस्य 4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक 6. राज्य के मंत्री 7. राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए उम्मीदवार 8. राज्य विधानमंडल के सदस्य 9. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
चौथी अनुसूची	राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन।
पांचवी अनुसूची	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान।
छठी अनुसूची	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान।
सातवीं अनुसूची	सूची I (संघ सूची), सूची II (राज्य सूची) और सूची III (समवर्ती सूची) के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। वर्तमान में, संघ सूची में 100 विषय (मूल रूप से 97), राज्य सूची में 61 विषय (मूल रूप से 66) और समवर्ती सूची में 52 विषय (मूल रूप से 47) शामिल हैं।
आठवीं अनुसूची	संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थीं लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वे हैं - असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी (डोंगरी), गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। सिंधी को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया । कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया और बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था।
नौवीं अनुसूची	भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानसभाओं और अन्य मामलों से निपटने वाली संसद के अधिनियम और विनियम (मूल रूप से 13 लेकिन वर्तमान में 282)। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इसमें शामिल कानूनों को न्यायिक जांच से बचाने के लिए इस अनुसूची को प्रथम संशोधन (1951) द्वारा जोड़ा गया था। हालांकि, 2007 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल, 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती हैं।
दसवीं अनुसूची	दलबदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान। इस अनुसूची को 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, जिसे दलबदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है।
ग्यारहवीं अनुसूची	पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
बारहवीं अनुसूची	नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। इसमें 18 विषय हैं। यह अनुसूची 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी।

Unleash the topper in you

4 CHAPTER मौलिक अधिकार

संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 - 35
- स्रोत- संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान (फ्रांसीसी संविधान से भी कुछ प्रावधान लिए गए है)

अनुच्छेद	प्रावधान
अनुच्छेद 12	परिभाषा (राज्य की परिभाषा)
अनुच्छेद 13	मौलिक अधिकारों के साथ कानून।
अनुच्छेद 14-18	समानता का अधिकार
अनुच्छेद 19-22	स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 23-24	शोषण के विरुद्ध अधिकार
अनुच्छेद 25-28	धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 29-30	सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
अनुच्छेद 31	संपत्ति का अधिकार (हटा दिया गया)
अनुच्छेद 32-35	संवैधानिक उपचार का अधिकार

मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति

- **पहली मांग-** भारत का संविधान विधेयक, 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा या स्वराज विधेयक
- **प्रेरणा-** इंग्लैंड बिल ऑफ राइट्स (1689), यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स और फ्रांस की डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन।
- **पहला प्रस्ताव-** नेहरू आयोग 1928 [संविधान सभा की माँग, सार्वभौमिक वयस्क मत द्वारा]
- **ग्रहण-** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1931 में मौलिक नागरिक अधिकारों के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्प पारित किया।
- संविधान में समावेश: मसौदा समिति (Drafting Committee) द्वारा

अधिकारों के प्रकार

प्राकृतिक अधिकार

- सार्वभौमिक अधिकार, मानव स्वभाव का हिस्सा और प्रत्येक व्यक्ति में निहित।
- कानून द्वारा प्रदत्त नहीं, बल्कि, वे इसके द्वारा पहचाने और लागू किए जाते हैं।
- जैसे- जीने का अधिकार।

मानव अधिकार

- प्राकृतिक अधिकारों के समान ही सार्वभौमिक है और मानव प्रकृति में निहित हैं।
- एक सम्मानजनक मानव जीवन के लिए आवश्यक है और सामाजिक, राजनीतिक या अन्य कारकों की परवाह किए बिना इसका आनंद लिया जा सकता है।
- एक व्यक्ति द्वारा बनाए रखा जाता है क्योंकि वह एक इंसान है।
- मानवाधिकारों की सार्वभौमिक रूप से घोषणा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 में अपनाया गया था।

नागरिक अधिकार

- वे अधिकार जो किसी देश के नागरिकों को प्राप्त हैं, देश के कानून द्वारा प्रदत्त हैं।
- एक देश से दूसरे देश में भिन्न हो सकते हैं।

मौलिक अधिकार

- नागरिक अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं और सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त हैं।

मौलिक अधिकारों की विशेषताएं

- **संविधान का अभिन्न अंग** - एक साधारण कानून द्वारा नहीं छीना जा सकता।
- **व्यापक और विस्तृत** - प्रत्येक लेख को इसके दायरे और सीमा के साथ वर्णित किया गया है।
- **सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का अभाव** - केवल नागरिक अधिकारों की गारंटी देता है, काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार जैसे अधिकार शामिल नहीं हैं।
- **अधिकार योग्य हैं:** अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार को छोड़कर अन्य पूर्ण नहीं, वे योग्य हैं व सीमाओं और उचित प्रतिबंधों के साथ हैं।
- **अधिकारों की प्रवर्तनीयता** - न्यायोचित अधिकार अर्थात् यदि इनमें से किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है, तो व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है।
- **मौलिक अधिकार संशोधनीय हैं** – मूल रूप से स्थायी नहीं, इन्हें संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
- **अधिकारों के निलंबन का प्रावधान** - आपातकाल के दौरान निलंबित।
- **मौलिक अधिकारों की संवैधानिक श्रेष्ठता** - सामान्य कानूनों और डीपीएसपी से बेहतर।
- **अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार** - विभिन्न प्रकार के अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकारों की गारंटी दी गई है।
- **कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं** - संविधान प्राकृतिक अधिकारों या अनगिनत अधिकारों को मान्यता नहीं देता है।
- **संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं** - सामाजिक-आर्थिक सुधारों को लागू करने के रास्ते में संपत्ति के अधिकार द्वारा उत्पन्न बाधाओं के कारण इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था।

अनुच्छेद 12: राज्य की परिभाषा

- अनुच्छेद 12 - राज्य में शामिल हैं-
  - भारत की सरकार और संसद
  - प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल
  - भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण

अनुच्छेद 13: मौलिक अधिकारों से असंगत या उनको कम करने वाले कानून

- 'कानून' शब्द में शामिल हैं
  - संसद या राज्य विधान मंडलों द्वारा अधिनियमित स्थायी कानून।
  - राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश जैसे अस्थायी कानून।
  - आदेश, उप-नियम, नियम, विनियम या अधिसूचना जैसे प्रत्यायोजित विधान (कार्यकारी विधान) की प्रकृति में सांविधिक उपकरण या साधन।
  - कानून के गैर-विधायी स्रोत, अर्थात् कानून का बल रखने वाली प्रथा या रूढ़ि।
- केवल एक कानून ही नहीं, बल्कि उपरोक्त में से किसी को भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के रूप में अदालत में चुनौती दी जा सकती है और इसलिए इसे शून्य घोषित किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 13 निर्दिष्ट करता है कि एक संवैधानिक संशोधन एक कानून नहीं है और इसलिए इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
  - केशवानंद भारती मामला (1973) - उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी जा सकती है।
  - यदि यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है जो संविधान के 'मूल ढांचे' का हिस्सा है और इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।

छह मौलिक अधिकार

1. **समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)**

अनुच्छेद 14- कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण

राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

कानून के समक्ष समानता:

- इंग्लिश कॉमन लॉ से अपनाया गया।
- राज्य को व्यक्तियों के बीच भेदभाव करने से रोकता है।
- किसी भी व्यक्ति के लिए किसी विशेषाधिकार की अनुपस्थिति।
- सामान्य कानून अदालतों द्वारा प्रशासित भूमि के नियमित कानून के लिए सभी वर्गों को समान रूप से प्रस्तुत करना।
- कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और यह कि हर कोई एक ही अधिकार क्षेत्र के अधीन है।
- प्रो. डाइसी ने 'कानून का शासन' की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसने कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को जन्म दिया।

कानून का शासन

कानून समीकरण का नियम

कानून का शासन शांतिपूर्ण, न्यायसंगत और समृद्ध समाज के विकास की नींव है। हम मानते हैं कि चार प्रमुख क्षेत्र हैं जो कानून के संरक्षण का निर्माण करते हैं

कानून के तहत समानता + कानून की पारदर्शिता + स्वतंत्र न्यायपालिका + सुलभ कानूनी उपाय

= कानून का शासन

- उच्चतम न्यायालय ने माना कि 'कानून का नियम' जैसा कि अनुच्छेद 14 में सन्निहित है, संविधान की एक 'बुनियादी विशेषता' है।
  - इसे संशोधन द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता।

कानूनों का समान संरक्षण

- स्रोत- यूएसए का संविधान।
- समान परिस्थितियों में समान व्यवहार सुनिश्चित करता है।
- लोगों को उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर उपलब्धि के आधार पर अलग तरह से व्यवहार करने में सक्षम बनाता है।
- समाज के सबसे कमजोर सदस्यों के लिए 'सकारात्मक कार्रवाई' के साथ-साथ विभिन्न आय समूहों के लिए विभिन्न कर दरों का प्रावधान करता है।

समानता के नियम के अपवाद

- **राष्ट्रपति और राज्यपालों को उन्मुक्ति**
  - अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए
  - अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक मुकदमे से।
  - उनके कार्यकाल के दौरान दीवानी कार्यवाही से।
- **विदेशी संप्रभु और राजदूत।**

अनुच्छेद 15- कुछ आधारों पर भेदभाव पर प्रतिषेध

अनुच्छेद 15(1)

- राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
- अन्य आधारों पर भेदभाव निषिद्ध नहीं है।

अनुच्छेद 15(2)

- कोई भी नागरिक, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा।
- दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच या कुओं, टैंकों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिसॉर्ट के स्थानों का उपयोग पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य निधि से किया जाता है।
- यह धारा सरकारी और निजी दोनों व्यक्तियों द्वारा भेदभाव को प्रतिबंधित करती है, जबकि पिछली धारा केवल सरकार द्वारा भेदभाव को प्रतिबंधित करती है।

भेदभाव प्रतिषेध नियम के अपवाद:

- **महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान**
  - जैसे स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, विशेष योजनाएँ व कार्यक्रम।
- **सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित व्यक्तियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की प्रगति के लिए प्रावधान।**
  - जैसे सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण या शुल्क में छूट।
- **नागरिकों के किसी भी ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान।**
  - शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु ऐसे वर्गों के लिए 10% तक सीटों के आरक्षण का प्रावधान

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग

- संविधान में परिभाषित नहीं है।
- **"पिछड़ा वर्ग" - अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 29(2)।**
- संविधान राज्य के इन वर्गों के नागरिकों को शिक्षा, रोजगार आदि में विशेष रियायतें देने का अधिकार देता है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता कि कौनसा वर्ग पिछड़ा है।
- शब्द/मानदंड को परिभाषित करने की जिम्मेदारी अनुच्छेद 338 व 340 के तहत स्थापित आयोगों की है। क्योंकि पिछड़ेपन में योगदान देने वाली परिस्थितियाँ अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं।
- आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट कर सकते हैं - न्यायिक समीक्षा के अधीन निर्णय।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि 'पिछड़ापन', जैसा कि अनुच्छेद 15(4) में परिभाषित किया गया है। 15(4) सामाजिक और शैक्षिक दोनों होना चाहिए।

शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण

- केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 - 93वें संशोधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को प्रभावित करते हुए- सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों (आईआईटी और आईआईएम सहित) में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% का कोटा अलग रखा गया।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधन अधिनियम और ओबीसी कोटा अधिनियम दोनों को बरकरार रखा गया था।
  - कोर्ट ने केंद्र सरकार से ओबीसी के 'क्रीमी लेयर' (उन्नत वर्ग) को कानून के कार्यान्वयन से छूट देने को कहा।

शैक्षणिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण:

- 103वाँ संशोधन अधिनियम: शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्रदान करता है।
- ईडब्ल्यूएस का लाभ उन व्यक्तियों द्वारा उठाया गया जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की किसी भी मौजूदा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।

मंडल आयोग की रिपोर्ट

- **नियुक्ति - 1979**
- **अध्यक्ष** - बी.पी. मंडल
- **कार्य** - सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों का मूल्यांकन करना और उनकी प्रगति के तरीकों की सिफारिश करना।
- **अवलोकन** - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर, 3743 जातियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े के रूप में पहचाना गया, जो आबादी का लगभग 52% है।
- **सिफारिशें** - ओबीसी के लिए 27% सरकारी पदों पर आरक्षण, सभी के लिए समग्र आरक्षण (एससी, एसटी और ओबीसी) को 50% तक लाना।

आगामी विकास

- 1991- नरसिम्हा राव सरकार ने दो बदलाव पेश किए:
  - 27% के ओबीसी कोटे में गरीब वर्ग को वरीयता।
  - उच्च जातियों के गरीब (आर्थिक रूप से पिछड़े) वर्गों के लिए अन्य सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण, जो आरक्षण की किसी भी मौजूदा योजना में शामिल नहीं है।
- सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई (1992)- उच्च जातियों के गरीब वर्गों के लिए 10% के अतिरिक्त आरक्षण को खारिज करते हुए, इसने कुछ शर्तों के साथ ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
  - ओबीसी (क्रीमी लेयर) के बीच उन्नत वर्गों को आरक्षण मानदंड से बाहर रखा गया।

- पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं, केवल नियुक्तियों में।
- कुछ शर्तों को छोड़कर कुल मिलाकर आरक्षित कोटा 50% से अधिक नहीं होगा।
- खाली (बैकलॉग) पदों के लिए, 'कैरी फॉरवर्ड रूल' लागू होता है- इसे 50% नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
- ओबीसी के अति-समावेशन और कम-समावेशन की चिंताओं की जाँच के लिए एक स्थायी वैधानिक प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए।

- **सरकार की कार्रवाई**
  - **राम नंदन समिति -** ओबीसी के क्रीमी लेयर का निर्धारण करने के लिए। इसके द्वारा 1993 में प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया।
  - **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (1993) -** नौकरी में आरक्षण के उद्देश्य से पिछड़े वर्गों की सूची से किसी भी वर्ग के लोगों को कम शामिल करने, अधिक शामिल करने या बाहर करने के आरोपों की जाँच करना।
  - **77वाँ संशोधन अधिनियम 1995 -** पदोन्नति में आरक्षण पर फैसले को पलटने के लिए, इसमें अनुच्छेद 16 में एक नया प्रावधान शामिल किया गया जो राज्य को राज्य सेवाओं में कम प्रतिनिधित्व वाले एससी और एसटी के पक्ष में राज्य के तहत किसी भी सेवा में आरक्षण की अनुमति देता है।
  - **81वाँ संशोधन अधिनियम 2000 -** अनुच्छेद 16 में एक नया प्रावधान सम्मिलित करके बैकलॉग रिक्तियों पर निर्णय को उलट दिया गया, जो राज्य को एक वर्ष की भरी न जा सकी आरक्षित रिक्तियों को भविष्य के किसी भी वर्ष या वर्षों में भरी जाने वाली रिक्तियों के एक अलग वर्ग के रूप में मानने की अनुमति देता है। संक्षेप में, यह बैकलॉग रिक्तियों में 50% आरक्षण की सीमा को समाप्त करता है।
  - **76वाँ संशोधन अधिनियम 1994 -** 1994 के तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए इसे नौवीं अनुसूची में रखा गया क्योंकि इसमें 69% आरक्षण का प्रावधान था, जो 50 प्रतिशत की सीमा से कहीं अधिक था।

अनुच्छेद 16- सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता

- केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर किसी भी नागरिक को राज्य के तहत लोक नियोजन में अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है।

सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के नियम के अपवाद

- संसद के पास राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, नगरपालिका सरकार या अन्य निकाय में विशिष्ट नौकरियों या नियुक्तियों के लिए निवास को एक शर्त बनाने की शक्ति है।
  - **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर किसी भी राज्य के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है** क्योंकि 1957 का लोक रोजगार (निवास के रूप में आवश्यकता) अधिनियम वर्ष 1974 में ही समाप्त हो गया था।
- **राज्य पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्तियां और पद आरक्षित कर सकता है जिनका राज्य में पर्याप्त प्रतिनिधित्व** नहीं है।
- **किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के पद का धारक या उसके शासी निकाय का सदस्य उस धर्म या संप्रदाय** का होना चाहिए।
- राज्य ने आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाने वाली नियुक्तियों या पदों में **10% (वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त) के आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी।**

सार्वजनिक रोजगार में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण

- 2019 के 103वें संशोधन अधिनियम के तहत आरक्षण।
- भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को 10% आरक्षण।
- लाभार्थी- ईडब्ल्यूएस से संबंधित व्यक्ति जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की किसी भी मौजूदा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। (अनुच्छेद 15 के तहत)
- वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को इस आरक्षण से बाहर रखा गया है।
  - पद संबंधित सेवा के ग्रुप ए में निम्न ग्रेड से ऊपर की ग्रेड में होने चाहिए।
  - कैबिनेट सचिवालय आदेश (1961) के अनुसार वैज्ञानिक या तकनीकी के रूप में वर्गीकृत, जिसके अनुसार वैज्ञानिक और तकनीकी पद जिनके लिए प्राकृतिक विज्ञान या सटीक विज्ञान या अनुप्रयुक्त विज्ञान या प्रौद्योगिकी में योग्यता निर्धारित है और जिनके पदाधिकारियों को करना है उस ज्ञान का उपयोग अपने कर्तव्यों के निर्वहन में करें।
  - पद अनुसंधान करने या अनुसंधान के आयोजन, मार्गदर्शन और निर्देशन के लिए होना चाहिए।

अनुच्छेद 17- अस्पृश्यता का उन्मूलन

- इसके तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है।
- अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।
- संसद को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 35) के उल्लंघन पर दंड के लिए कानून बनाने का अधिकार है और संसद ने 1955 के अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम को पारित किया, संशोधित किया गया और 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के रूप में इसका नाम बदल दिया गया।

- अस्पृश्यता (अपराध) 1987 के कानून ने इस अधिनियम को बदल दिया गया तथा दायरे का विस्तार और कड़े दंड का प्रावधान किया गया।
- अस्पृश्यता के आधार पर किए जाने पर कुछ कृत्यों को अपराध घोषित करता है -
  - किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक संस्थानों, औषधालयों, शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से मना करना।
  - किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान पर पूजा करने या पूजा करने से रोकना।
  - किसी भी दुकान, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन या किसी जलाशय, नल या पानी के अन्य स्रोत, सड़क, श्मशान भूमि या किसी अन्य स्थान के उपयोग के संबंध में पहुँच को प्रतिबंधित करना जहाँ 'जनता को सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
  - अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अस्पृश्यता के आधार पर अपमान करना।
  - प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना।
  - ऐतिहासिक, दार्शनिक या धार्मिक आधार पर या जाति व्यवस्था की परंपरा के आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना।
- **अनुच्छेद 17-** लोक सेवक ऐसे अपराधों की जांच करने के लिए बाध्य हैं लेकिन लेख में किसी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है।
- अस्पृश्यता के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए अयोग्य है।
- **यदि अनुसूचित जाति का कोई सदस्य इस तरह के भेदभाव का शिकार होता है तो** न्यायालय यह मान लेगा कि आचरण 'अस्पृश्यता' के आधार पर किया गया था जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।

संसद की कार्रवाई

- संसद ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नियम, 1995 पारित किया।
  - चूंकि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और भारतीय दंड संहिता अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ अपराधों की जाँच करने के लिए अपर्याप्त पाए गए थे।
- संसद ने हाथ से मैला ढोने वालों के रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम वर्ष 2013 में भी पारित किया, जिसमें अनुच्छेद 14, 19 और 21 को एक साथ पढ़ने के लिए अस्पृश्यता के खिलाफ हाथ से मैला उठाने वालों के मौलिक अधिकारों की माँग की गई थी।

अस्पृश्यता

- इसे न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है।
- **मैसूर एचसी - अनुच्छेद 17** की विषय वस्तु अपने शाब्दिक अर्थों में अस्पृश्यता नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से देश में विकसित की गई प्रथा है।
- कुछ जातियों में जन्म के कारण कुछ वर्गों के व्यक्तियों पर लगाई गई सामाजिक अक्षमताओं को संदर्भित करता है।
- कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं से उनके बहिष्कार आदि को संरक्षण नहीं देता है।
- **अनुच्छेद 17 के तहत अधिकार निजी व्यक्तियों के खिलाफ** उपलब्ध है और इसके उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है।

अनुच्छेद 18- उपाधियों का उन्मूलन

इस संबंध में किए गए 4 उपाय

- राज्य द्वारा सैन्य या अकादमिक विशिष्टता के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी।
- भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
- राज्य के तहत लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है।
- राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी प्रकार का कोई वर्तमान, परिलब्धता या पद स्वीकार नहीं करेगा।

संसद की कार्रवाई

- अनुच्छेद 18 - महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब जैसे अन्य वंशानुगत उपाधियों के उपयोग पर रोक लगाता है क्योंकि वे सभी के लिए समान स्थिति के विचार का उल्लंघन करते हैं।
- राष्ट्रीय पुरस्कारों (भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री) को वर्ष 1996 में उच्चतम न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता प्रदान की गई।
  - अनुच्छेद – 18 के तहत शीर्षक के रूप में योग्य नहीं है।
  - अनुच्छेद – 18 का उल्लंघन न करें क्योंकि समानता योग्यता की मान्यता को बाहर नहीं करती है।
- **1954 - राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित - जनता पार्टी सरकार द्वारा 1977 में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया।** हालाँकि, इंदिरा गांधी प्रशासन ने 1980 में उन्हें पुनर्जीवित किया।

2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

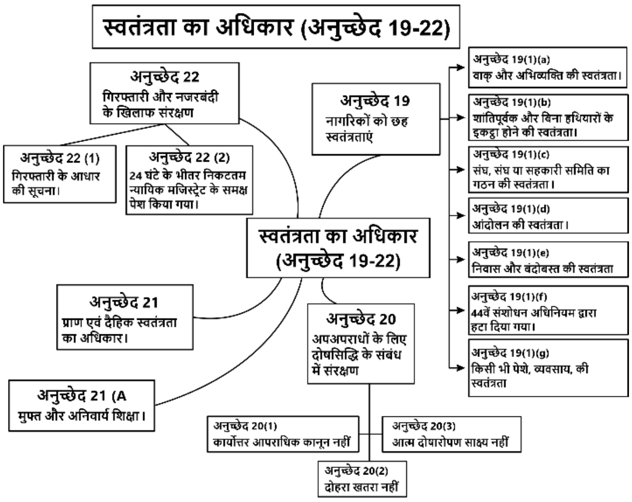

अनुच्छेद 19- भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण

- विशेष रूप से सिर्फ सरकारी कार्रवाई से सुरक्षित, निजी व्यक्तियों से नहीं।
- केवल नागरिकों और कंपनी के शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है, न कि विदेशियों या कानूनी संस्थाओं जैसे फर्मों या निगमों के लिए।
- राज्य इन छः अधिकारों पर केवल अनुच्छेद 19 में सूचीबद्ध आधारों पर 'उचित' प्रतिबंध लगा सकता है न कि किसी अन्य आधार पर।
- अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत छः अधिकार
    - बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: उच्चतम न्यायालय के अनुसार इसमें शामिल हैं।
        - अपने विचारों के साथ-साथ दूसरों के विचारों को प्रचारित करने का अधिकार।
        - पत्रकारिता की स्वतंत्रता।
        - वाणिज्यिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता।
        - टेलीफोन पर बातचीत के टैप होने के खिलाफ अधिकार।
        - प्रसारण का अधिकार यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार का एकाधिकार नहीं है।
        - किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आहूत बंद के विरुद्ध अधिकार।
        - सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार।
        - मौनधारण करने की स्वतंत्रता।
        - किसी समाचार-पत्र पर पूर्व-सेंसरशिप लगाने के विरुद्ध अधिकार।
        - प्रदर्शन या धरना देने का अधिकार लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं।

उचित प्रतिबंध
- भारत की संप्रभुता और अखंडता हेतु।
- राज्य सुरक्षा।
- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
- सार्वजनिक व्यवस्था।
- शालीनता या नैतिकता।
- न्यायालय की अवमानना।
- मानहानि
- अपराध के लिए उकसाना (अपराध उद्दीपन)

शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना
- प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार है, जिसमें शामिल हैं:
    - जनसभा करने का अधिकार,
    - धरना प्रदर्शन और जुलूस निकालना।
- केवल सार्वजनिक भूमि पर सभा शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के होनी चाहिए।
- हिंसक, उच्छृंखल, दंगा करने वाली सभाओं या सार्वजनिक शांति भंग करने वाले या हथियार शामिल करने वाली सभा संरक्षण नहीं देता है।
- इसमें हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है।

उचित प्रतिबंध
- **भारत की संप्रभुता और अखंडता**
- संबंधित क्षेत्र में यातायात के रखरखाव सहित सार्वजनिक व्यवस्था।
- **सीपीसी (1973) की धारा 144 के तहत**, इसे मजिस्ट्रेट रोक सकता है यदि बाधा, मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, दंगा या किसी भी तरह की लड़ाई का खतरा हो।
- **आईपीसी की धारा 141 के तहत 5 व्यक्तियों का जमावड़ा गैरकानूनी**
    - किसी कानून या कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन का विरोध करने के लिए
    - किसी व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा करना
    - कोई शरारत या आपराधिक अतिचार करना
    - किसी को अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करना
    - वैध शक्तियों का प्रयोग करने पर सरकार या उसके अधिकारियों को धमकी देना।

- **संघों या सहकारी समितियों का गठन करना**
    - राजनीतिक दलों, कंपनियों, साझेदारी फर्मों, समितियों, क्लबों, संगठनों, ट्रेड यूनियनों या व्यक्तियों के किसी भी निकाय को बनाने का अधिकार शामिल है।
    - इसमें न केवल एक संघ या संघ शुरू करने का अधिकार शामिल है, बल्कि संघ या संघ के साथ बने रहने का अधिकार भी शामिल है।
    - किसी संघ या संघ को बनाने या उसमें शामिल न होने के नकारात्मक अधिकार को भी शामिल करता है।
    - संघ की मान्यता प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।

- ट्रेड यूनियनों के पास प्रभावी सौदेबाजी का कोई गारंटी अधिकार नहीं है तथा हड़ताल का अधिकार या तालाबंदी की घोषणा करने का अधिकार, औद्योगिक कानून द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

उचित प्रतिबंध
- भारत की संप्रभुता और अखंडता।
- सार्वजनिक व्यवस्था।
- नैतिकता।

- भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार
  - प्रत्येक नागरिक देश भर में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है।
  - यह रेखांकित करता है कि भारत राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने वाली एक इकाई है, न कि संकीर्णतावादी (सीमित या संकीर्ण दृष्टिकोण, विशेष रूप से स्थानीय क्षेत्र पर केंद्रित)।

उचित प्रतिबंध
- आम जनता के हित।
- किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण।

जनजातीय क्षेत्र में अधिकार
- आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों का प्रवेश अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति-रिवाजों और तौर-तरीकों की रक्षा करने और उनके पारंपरिक व्यवसाय और संपत्तियों को शोषण से बचाने के लिए प्रतिबंधित है।

विशेष स्थितियां
- सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर और सार्वजनिक नैतिकता के हित में वैश्याओं की आवाजाही की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एड्स से प्रभावित व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंधों को मान्य किया।

विचरण की स्वतंत्रता के आयाम
- आंतरिक (देश के अंदर आने-जाने का अधिकार), अनुच्छेद 19 द्वारा संरक्षित
- बाहरी (देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) द्वारा संरक्षित।

- **भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने के लिए 2 भाग**
  - देश के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार अर्थात् किसी भी स्थान पर अस्थायी रूप से रहना।
  - देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, जिसका अर्थ है स्थायी रूप से किसी भी स्थान पर घर या अधिवास स्थापित करना।
- इसका उद्देश्य संकीर्ण मानसिकता से बचने के लिए देश के भीतर या उसके किसी हिस्से के बीच आंतरिक बाधाओं को दूर करना है।

उचित प्रतिबंध
- आम जनता का हित
- किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण।

जनजातीय क्षेत्रों में अधिकार
- अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति-रिवाजों और तौर-तरीकों की रक्षा और शोषण के खिलाफ उनके पारंपरिक व्यवसाय और संपत्तियों की रक्षा के लिए प्रतिबंधित।
- आदिवासियों को उनके प्रथागत नियमों और कानूनों के अनुसार उनके संपत्ति के अधिकारों को विनियमित करने की अनुमति दी गई है।

विशेष स्थितियाँ
- उच्चतम न्यायालय ने माना कि कुछ खास तरह के लोगों जैसे वैश्याओं और आदतन अपराधियों के लिए कुछ क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

- किसी पेशे का अभ्यास करना या कोई व्यवसाय, व्यापार करना।

उचित प्रतिबंध
- आम जनता का हित।

राज्य को भी अधिकार है
- किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक पेशेवर या तकनीकी योग्यताएँ निर्धारित करें तथा
- नागरिकों के बहिष्करण (पूर्ण या आंशिक) के लिए या अन्यथा किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को स्वयं जारी रखें।
  - इस प्रकार, कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है जब राज्य व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को या तो एकाधिकार (पूर्ण या आंशिक) के रूप में नागरिकों (सभी या कुछ केवल) के बहिष्कार के लिए या किसी नागरिक के साथ प्रतिस्पर्धा में करता है।
  - राज्य को अपने एकाधिकार का औचित्य सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।
  - इसमें ऐसे पेशे या व्यवसाय या व्यापार या व्यवसाय को जारी रखने का अधिकार शामिल नहीं है जो अनैतिक (महिलाओं या बच्चों की तस्करी) या खतरनाक (हानिकारक ड्रग्स या विस्फोटक आदि) है।
  - राज्य इन पर पूरी तरह से रोक लगा सकता है या लाइसेंस के माध्यम से इन्हें नियंत्रित कर सकता है।

अनुच्छेद 20- दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

- सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे नागरिक हो या गैर-नागरिक।
- 3 अधिकार:
  - **कार्योत्तर कानूनों के विरुद्ध संरक्षण**

- **कार्योत्तर कानून -** वह कानून जो अपराध किए जाने पर वैध था उसे दंडित करता है।
    - यदि कोई विशेष कार्य उस समय भूमि के कानून के अनुसार अपराध नहीं था जब व्यक्ति ने वह कार्य किया था, तो उसे उस कानून के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो पूर्वव्यापी प्रभाव से उस कार्य को अपराध घोषित करता है।
    - यहाँ तक कि किसी अपराध को करने के जुर्माने को भी भूतलक्षी प्रभाव से नहीं बढ़ाया जा सकता है।

अपवाद
- **केवल आपराधिक कानून के तहत** अपराधों और उनकी सजा के लिए लागू है और किसी भी नागरिक दायित्व के लिए नहीं, जहाँ पूर्वव्यापी कानून पारित किया जा सकता है।
- **केवल वास्तविक कानून के संबंध में** कार्योत्तर कानून के तहत दोषसिद्धि को प्रतिबंधित करता है, लेकिन प्रक्रियात्मक कानून के संबंध में नहीं, क्योंकि किसी ने भी प्रक्रिया में अधिकार निहित नहीं किया है।

- **दोहरे खतरे से बचाव**
    - किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है।
    - यदि किसी व्यक्ति को पहले दंडित नहीं किया गया था तो उस पर फिर से मुकदमा चलाया जा सकता है।
- **आत्म-अपराध से सुरक्षा**
    - **किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को** अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
    - **आपराधिक कानून का मुख्य सिद्धांत -** आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक कि वह इसके विपरीत साबित न हो जाए। अपराध को साबित करना अभियोजन का कर्तव्य है।

नार्को-टेस्ट और अनुच्छेद 20(3)
- **सच निकालने के लिए हाल ही में पूछताछ के वैज्ञानिक उपकरण** विकसित किए गए हैं:
    - **लाई डिटेक्टर या पॉलीग्राफ टेस्ट,**
    - **P300 या ब्रेन मैपिंग टेस्ट**
    - **नार्को विश्लेषण या ट्रूथ सीरम टेस्ट**
- मनोविश्लेषणात्मक परीक्षण संदिग्ध के व्यवहार की व्याख्या करने और जांच अधिकारी की टिप्पणियों की पुष्टि करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- यह आरोप लगाया जाता है कि नार्को विश्लेषण अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है।
- भारतीय न्यायालयों ने अब तक नार्को-विश्लेषण को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार किया है।

- **सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 -** सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किए गए उपरोक्त परीक्षण असंवैधानिक माने हैं और इन्हें अनुच्छेद 20(3) और 21 के तहत शून्य घोषित माना है।

अनुच्छेद 21- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

- "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।"
- मनुष्यों के लिए मौलिक अधिकारों और मानव जीवन की पवित्रता को मान्यता देता है।
- यह अधिक विकसित होने के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी अधिकार बन गया है।
- उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद की उदार व्याख्या से कई मिश्रित या अनुमानित अधिकार निकाले हैं।
- सम्मान के अधिकार और मानव व्यक्तित्व के अन्य सभी पहलुओं के लिए भी खड़ा है, जो किसी व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं।
- यह संविधान के भाग III की आधारशिला है।

अनुच्छेद 21 का विकास

गोपालन मामला (1950)
- अनुच्छेद-21 की संक्षिप्त व्याख्या उच्चतम न्यायालय ने माना कि इसके तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है, न कि मनमानी विधायी कार्रवाई के विरुद्ध।
- राज्य कानून के आधार पर किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है।
- क्योंकि अनुच्छेद 21 में 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' अमेरिकी संविधान में निहित 'कानून की उचित प्रक्रिया' की अभिव्यक्ति से अलग है।
- एक कानून की वैधता जिसने एक प्रक्रिया निर्धारित की है पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि कानून अनुचित या अन्यायपूर्ण है।
- उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना कि 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' का अर्थ केवल व्यक्ति या व्यक्ति के शरीर से संबंधित स्वतंत्रता है।

मेनका केस (1978)

- उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए अपने पूर्ववर्ती फैसले को पलट दिया।
- फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा वंचित किया जा सकता है, बशर्ते उस कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत हो।

- **अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण** न केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ बल्कि मनमानी विधायी कार्रवाई के खिलाफ भी उपलब्ध होना चाहिए।
- **'जीवन का अधिकार' केवल जानवरों के अस्तित्व या अस्तित्व तक ही सीमित नहीं** है बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है।अनुच्छेद 21 में 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' व्यापक आयाम है और इसमें विभिन्न प्रकार के अधिकार शामिल है जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन करते है। उच्चतम न्यायालय ने बाद के मामलों में मेनका मामले में अपने फैसले की पुष्टि की है।

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के हिस्से के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की

• मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार • सभ्य पर्यावरण का अधिकार • आजीविका का अधिकार • एकान्तता का अधिकार • आश्रय का अधिकार • स्वास्थ्य का अधिकार • 14 साल की उम्र तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार • मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार • एकांत कारावास के खिलाफ अधिकार • त्वरित परीक्षण का अधिकार • हथकड़ी पहनने के खिलाफ अधिकार • अमानवीय व्यवहार के खिलाफ अधिकार • विलंबित निष्पादन के खिलाफ अधिकार • विदेश यात्रा का अधिकार • बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार	• हिरासत में उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार • आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार • सरकारी अस्पताल में समय पर इलाज का अधिकार • किसी राज्य से बाहर न निकालने का अधिकार • निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार • जीवन की आवश्यकता रखने के लिए कैदी का अधिकार • महिलाओं को शालीनता और सम्मान के साथ व्यवहार करने का अधिकार • सार्वजनिक फाँसी के खिलाफ अधिकार • सुनवाई का अधिकार • सूचना का अधिकार • प्रतिष्ठा का अधिकार

शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A)

- संविधान के भाग IV का अनुच्छेद 45 - बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, लेकिन एक निदेशक सिद्धांत के रूप में, इसे अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता था।
- सरकार ने 2002 में 86वाँ संशोधन अधिनियम पारित किया, जो अब न्यायिक भागीदारी की अनुमति देता है।

1993- उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकारों को मान्यता दी।

- फैसला सुनाया गया कि इस देश के हर बच्चे या नागरिक को 14 साल की उम्र पूरी होने तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार है।
- उसके बाद, उसका शिक्षा का अधिकार राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अधीन है।
- कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती फैसले (1992) को खारिज कर दिया, जिसमें घोषित किया गया था कि चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसी व्यावसायिक शिक्षा सहित किसी भी स्तर तक शिक्षा एक मौलिक अधिकार है।

2002 का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम

- "सभी के लिए शिक्षा" प्राप्त करने हेतु।
- सरकार द्वारा "नागरिकों के अधिकारों के अध्याय में इसे दूसरी क्रांति की शुरुआत" करार दिया गया।
- राज्य को 6-14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए।
- केवल प्राथमिक शिक्षा पर लागू होता है, आगे या व्यावसायिक शिक्षा पर नहीं।
- निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया, जिसके तहत 'राज्य को सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए जब तक कि वे छह साल की उम्र पूरी नहीं कर लेते'।
- जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य- 'भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6-14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करे'

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009

- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे को औपचारिक स्कूल में पर्याप्त और समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा का अधिकार हो।
- इस आधार पर कि समानता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के लक्ष्यों को पूरा करने के साथ-साथ एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज के गठन का एकमात्र तरीका सभी बच्चों को एक समावेशी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है।

अनुच्छेद 22- कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण

- गिरफ्तार व्यक्ति को संविधान कुछ अधिकारों की गारंटी देता है।

दंडात्मक ऑब्स्ट्रक्शन: किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए दंडित करने के लिए परीक्षण और दोष सिद्धि के बाद हिरासत में लेना।